

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
(विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193)
दूरभाष:-+917895754011, 7906829422 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-37/2025

दिनांक:- 22.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री राजेश शर्मा, निवासी वार्ड नं0 02 तपोवन टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड टिहरी।

विपक्षी

निर्णय

दिनांक 31.05.25 को मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल में आयोजित शिविर के दौरान परिवादी श्री राजेश शर्मा निवासी वार्ड नं0 02 तपोवन टिहरी ने एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि उनके संयोजन संख्या TH26008026343 पर स्थापित मीटर लगभग 3 वर्षों पूर्व से खराब चल रहा था, और विभाग द्वारा उन्हें एक साथ 43000.00 का बिल दिया गया। उनके द्वारा रु0 10000.00 जमा किए गए और विभाग द्वारा बताया गया कि अब उनको बिल नए मीटर के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन उन्हें रु0 72000.00 का बिल दिया गया। बिल भुगतान न होने की वजह से उनके उक्त संयोजन को काट दिया गया। शिकायतकर्ता ने मंच से अनुरोध किया है कि उनके संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

शिविर के दौरान विपक्षी विभाग की ओर से उपस्थित उपखंड अधिकारी को मंच द्वारा आदेशित किया कि परिवादी कि उक्त समस्या पर अपना पक्ष दिनांक 19/06/2025 को सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी/विभाग ने पत्रांक संख्या 390 दिनांक 13/05/2025 के माध्यम से मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के उक्त संयोजन पर निर्गत विद्युत बीजक को पूर्व में ही माह 12/2024 में संशोधित कर दिया गया था। इस पर मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को मा0 आयोग के विनियमों के अनुसार बिल संशोधित करने के निर्देश देते हुए सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मंच द्वारा परिवादी की दिनांक 03.07.205 को सुनवाई तिथि नियत की गई। तय तिथि को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग ने पूर्व जवाब को प्रस्तुत किया। परिवादी को दूरभाष पर सुना गया। परिवादी ने बिल संशोधन करने का दोहराव किया।

22/07/25

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum, Uttarakashi

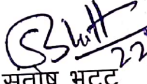
क्रमशः 2.....

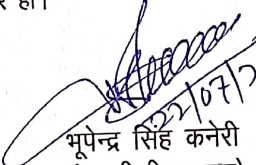
मंच ने उभय पक्षों को सुना। पत्रावली का परिशीलन किया गया। चूंकि परिवादी ने अधिक बिल को लेकर परिवाद योजित किया है। इस पर विपक्षी/विभाग ने परिवादी को जारी रु0 74301.00 के बिल को संशोधित कर रु0 10919.00 कर दिया है। प्रमाण के रूप में विपक्षी/विभाग ने परिवादी को जारी संशोधित बिल की छायाप्रति मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। ऐसे में मंच का मत है कि विपक्षी/विभाग ने परिवादी को निर्गत गलत बिल को संशोधित कर समस्या का समाधान कर दिया है। चूंकि विपक्षी/विभाग ने परिवादी को गलत बिल जारी किया है और जब मामला मंच के समक्ष आया तो गलत बिल संशोधित किया गया। ऐसे में परिवादी को बिल जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। साथ ही परिवादी भी विपक्षी/विभाग द्वारा किए गए संशोधित बिल को समय पर जमा करे, ताकि विलंब अधिभार से बच सके।

उपरोक्त आधार पर परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी के गलत बिल को संशोधित कर समस्या का समाधान कर दिए जाने पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


सतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
(विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193)
दूरभाष:-+917895754011, 7906829422 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

दिनांक:- 22.07.2025

परिवाद संख्या-55/2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी

श्री शुरवीर सिंह ग्राम/पो0 जखोल (मोरी) बडकोट।

बनाम

विपक्षी

अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड बडकोट।

निर्णय

दिनांक 22.06.25 को जखोल में अयोजित शिविर के दौरान परिवादी श्री शुरवीर सिंह पुत्र श्री लाखीराम ग्राम जखोल (मोरी) बडकोट ने एक लिखित शिकायती प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया गया कि उनके द्वारा विगत वर्ष 2024 में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था जिसके सापेक्ष लगभग 7-8 माह पूर्व उनके परिसर पर स्थापित किया गया है, परन्तु वर्तमान तक कोई बिल नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता ने मंच से अनुरोध किया है कि वह एक बार में ही बिल नहीं दे पाएगा, इसलिए बिल के संशोधन के पश्चात् ही बिल दिया जाए।

शिविर के दौरान विपक्षी विभाग की ओर से उपस्थित उपखंड अधिकारी को मंच द्वारा आदेशित किया कि परिवादी कि उक्त समस्या पर अपना पक्ष दिनांक 07/07/2025 को सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। नियत तिथि तक विपक्षी/विभाग का जवाब अप्राप्त रहा।

दिनांक 21.07.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग ने पत्रांक संख्या 573 दिनांक 19/07/25 के माध्यम से मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के परिसर पर मीटर संख्या 84566261 पर ही नया विद्युत संयोजन निर्गत किया गया है जिसका विद्युत संयोजन संख्या BD23209339441 है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान उपखण्ड अधिकारी द्वारा मंच को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया कि उपभोक्ता को अग्रिम बिलिंग चक्र माह अगस्त में बिल जारी कर दिया जाएगा। विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के पैरा 5.2.1 (3) के अनुसार विपक्षी/विभाग एन0ए0/एन0आर0/आई0डी0एफ/आर0डी0एफ के दो से अधिक बिल प्रेषित करने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसे में एक मुश्त बिल दिए जाने से उपभोक्ता पर आर्थिक भार पड़ सकता है। जिसमें कि उपभोक्ता की कोई गलती न होने के कारण मंच का मत है कि उपभोक्ता को बिल के भुगतान हेतु समय सीमा का विस्तार करना न्यायोचित है।

SBH
22/07/25

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarakshi

क्रमशः 2.....

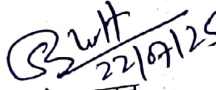


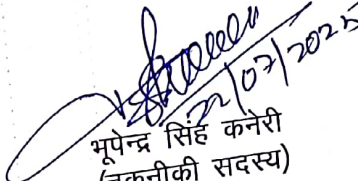
Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त आधार पर परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परिवादी को तत्काल सही बिल निर्गत करें और 30 कार्यदिवसों के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarkashi

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/
विभाग को आदेशित किया जाता है कि -

P.T.O.



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
(विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193)
दूरभाष:-+917895754011, 7906829422 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-32/2025

दिनांक:- 24.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री नितिन कुडियाल पुत्र श्री राम लाल कुडियाल उपला तपोवन
बालकनाथ रोड टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी।

विपक्षी

निर्णय

दिनांक 31.05.25 को मुनिकी रेती टिहरी गढवाल में शिविर के दौरान शिकायतकर्ता श्री नितिन कुडियाल पुत्र श्री राम लाल कुडियाल (उपभोक्ता धनवीर सिंह, मुनिकी रेती टिहरी गढवाल) के विद्युत संयोजन संख्या THOK000623450 के सापेक्ष एक लिखित शिकायती प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया गया कि उनके द्वारा उपला तपोवन बालकनाथ रोड पर clean easy laundry नाम से विद्युत संयोजन संख्या THOK000623450 40kw का उपयोग कर रहा है, जो कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत स्थापित किया गया था। परिवादी का कथन है कि उन्हें विगत दो माह (मार्च 2025 एवं अप्रैल 2025) में निर्गत विद्युत बिलों में भारी अनियमितता पाई गई है-

1. कि उनके माह मार्च बिल तिथि (दिनांक 28.02.2025 से 31.03.2025) के बिल में रु0 104239.00 अतिरिक्त देय राशि को जोड़ा गया है, जबकि उनके द्वारा समय पर पूर्ण रूप से बिल का भुगतान किया जाता रहा है। विभाग द्वारा उक्त देय राशि को वर्ष 2013 के जुलाई माह का बताया जा रहा है जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार वर्ष 2023 की शेष राशि के भुगतान को वर्ष 2025 में इंगित करना न्यायसंगत नहीं है।
2. कि माह मार्च 2025 के बिल पर अतिरिक्त देय राशि रु0 52350.00 का भार जोड़ा गया है, जो कि बिल में बिन्दु संख्या 09 एफ0सी0ए0 चार्ज के रूप में इंगित है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में भी इतनी राशि को नहीं जोड़ा गया था।
3. कि उनको माह अप्रैल 2025 के बिल पर फिक्स चार्ज को गलत जोड़ा गया है। पूर्व के बिलों में फिक्स चार्ज रु0 8880.00 जुड़कर आता था, किन्तु उक्त माह में रु0 52767.00 का शुल्क जोड़ा गया है। माह अप्रैल 2025 के बिल पर 410 के0वी0ए0 से चार्ज किया गया है, जबकि पूर्व के बिलों में रु0 185 के0वी0ए0 की दर से गुणांक किया जाता रहा है। उनकी विद्युत खपत व स्वीकृत भार लगभग समान रहा है इस वजह से अतिरिक्त डिमांड चार्ज के रूप में रु0 66174.00 का शुल्क लिया जा रहा है।

[Signature]
24/07/25

[Signature]
24-07-2025

क्रमशः 2.....

4. कि उनके द्वारा पूर्व में 70 कि0वा0 तक वृद्धि हेतु आवेदन किया जा चुका है लेकिन विभाग द्वारा वर्तमान तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी है। यदि उन्हें 70 कि0वा0 विद्युत भार स्वीकृत किया जाता है तो अन्यत्रित शुल्क से राहत मिलेगी और वह रोजगार को सफलतापूर्वक संचालित कर सकेगा।
परिवादी ने मंच से अनुरोध किया है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी उपस्थित थे। मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया कि परिवादी कि उक्त समस्या पर अपना पक्ष दिनांक 19/06/2025 को सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

इसके उपरान्त विपक्षी/विभाग ने पत्रांक संख्या 390 दिनांक 13/06/2025 के माध्यम से मंच को उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या THOK000623450 के मीटर की MRI रिपोर्ट प्रस्तुत की। विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 463 दिनांक 08.07.2025 के माध्यम से एक और आख्या मंच के समक्ष पेश की और अवगत कराया कि-

1. बिन्दु संख्या 01 के संबंध में उपभोक्ता के माह मार्च 2025 के विद्युत बीजक में रु0 104239.00 की धनराशि उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 के ऑडिट अनुभाग द्वारा माह माह 01.06.2023 से दिनांक 31.08.2023 के विद्युत बीजकों में अधिक समायोजन दिये जाने के कारण जोड़ा गया है।
2. बिन्दु संख्या 02 के संबंध में विद्युत बिल के प्वाइंट नं0 09 पर रु0 52350.00 की धनराशि एफ0पी0पी0सी0ए के रूप में घटायी गई है जोड़ी नहीं गई है।
3. बिन्दु संख्या 03 के संबंध में रु0 52767.00 तथा रु0 66174.00 की धनराशि माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ प्रावधान के अनुसार ही जोड़ा गया है।
4. बिन्दु संख्या 04 के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा 70कि0वा0 भार वृद्धि हेतु आवेदन किया गया था परन्तु उनके द्वारा विद्युत संयोजन पर पिछले एक साल से विद्युत भार लगभग 100 के0वी0ए से अधिक जा रही है जिस कारण आवेदन स्वीकार नहीं हो पा रहा है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना और पत्रावली के अवलोकन किया। मंच का इस प्रकरण में विश्लेषण बिंदु अनुसार नीचे प्रस्तुत किया गया है-

1. मंच द्वारा पत्रावली के अवलोकन पर यह पाया गया उपभोक्ता को दिनांक 02.04.2023 को विद्युत संयोजन निर्गत किया गया और उपभोक्ता को प्रथम दो माह का बिल दिनांक 17.06.2023 को 22422 यूनिट का दिया गया। अगला NA का बिल दिनांक 20.07.2023 को उपभोक्ता के पिछले बिल की खपत की औसत खपत के अनुसार 11221 यूनिट का दिया गया, जो कि एक माह का बिल था। इसके उपरान्त उपभोक्ता का मीटर खराब होने के कारण दिनांक 11.07.2023 को मापक बदलकर दिनांक 26.09.2023 को बिल दिया गया जिसमें कि पूर्व में दिये गये एन0ए0 के आधार पर निर्गत बिल का समायोजन कर रु0 77985.95 को घटा कर दिया गया, जो कि उपभोक्ता की देयक राशि बनती है। इसके अलावा उपभोक्ता के दिनांक 26.09.2023 को निर्गत बिल पर 3798 Assessment unit दर्शायी गई, खपत को उपभोक्ता की कुल खपत में नहीं जोड़ा गया। उपभोक्ता के माह मार्च के बिल दिनांक 28.02.2025 से 31.03.2025 में रु0 104239.00 के अतिरिक्त देय राशि को जोड़ने के संबंध में विपक्षी/विभाग का दावा कि उक्त राशि को दिनांक 01.06.2023 से 31.08.2023 के विद्युत बीजकों में अधिक समायोजन दिये जाने के कारण एवं Assessment unit 3798 न जोड़ने के कारण मांगा गया है, पत्रावली के परिशीलन पर विभाग का पक्ष सही पाया गया। अतः उपभोक्ता की शिकायत बिन्दु संख्या 01 अस्वीकार की जाती है।

Shruti
24/07/25

24-07-2025

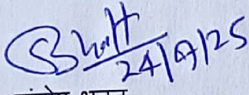
क्रमशः 3.....

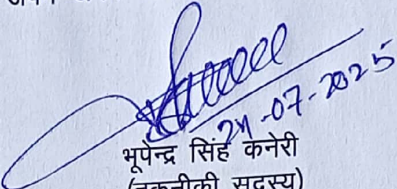
2. उपभोक्ता के बिंदु संख्या 02 की शिकायत के क्रम में विपक्षी/विभाग ने यह दावा किया है कि उक्त धनराशि रु0 52767.00 को एफ0पी0पी0सी0ए के रूप में जोड़ी नहीं गयी अपितु घटाई गयी है, जो कि पत्रावली से स्पष्ट है। अतः उक्त शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।
3. उपभोक्ता के बिंदु संख्या 03 में अधिक फिक्स चार्ज देने के संबंध में मा0 आयोग द्वारा जारी 2025-26 के टैरिफ ऑर्डर के Annexure 9.1 Annexure 1 के खण्ड 13 में स्पष्ट रूप से दर्शित है कि अगर उपभोक्ता का संविधाकृत भार 75 कि0वा0 से कम है और उपभोक्ता की अधिकतम मांग 100 के0वी0ए से अधिक होने पर डिमांड चार्ज HT Industrial Consumers के आधार पर मांगे जाने पर का प्रावधान है। अतः उपभोक्ता की उक्त शिकायत स्वीकार नहीं की जा सकती है।
4. उपभोक्ता के संयोजन की एम0आर0आई के अनुसार विद्युत मांग 100 के0वी0ए से अधिक होने के कारण उपभोक्ता की 70 के0वी0ए की भार वृद्धि आवेदन विभाग द्वारा अस्वीकार करना उचित है। ऐसे में उपभोक्ता अपने संयोजन की विद्युत मांग कम करके 70 के0वी0ए का आवेदन कर सकता है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद खारिज किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद अस्वीकार किया जाता है। यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
(विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193)
दूरभाष:-+917895754011, 7906829422 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-38/2025

दिनांक:- 05.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री भीम सिंह पुत्र श्री दरमियान सिंह, ग्राम सिन्दवालगांव घुत्तू टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

निर्णय

दिनांक 01.06.25 को मंच द्वारा आयोजित राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज घुत्तू (घनसाली) टिहरी गढवाल में शिविर के दौरान श्री भीम सिंह पुत्र श्री दरमियाल सिंह ग्राम सिन्दवालगांव टिहरी गढवाल ने एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रेषित किया कि उनके संयोजन संख्या TH12007059890 पर लगभग 9-10 साल से डबल बिल आ रहा है। शिकायतकर्ता ने मंच से अनुरोध किया है कि इस विद्युत बिल को बन्द करवाने की कृपा करें।

शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी उपस्थित थे। मंच द्वारा आदेशित किया कि परिवादी कि उक्त समस्या पर अपना पक्ष दिनांक 19/06/2025 को सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

इसके उपरान्त विपक्षी/विभाग ने पत्रांक संख्या 1459 दिनांक 19/06/25 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या TH12007059890 का बिल स्टॉप कर दिया गया है। साथ ही उक्त संयोजन को स्थायी विच्छेदन हेतु खण्ड कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद ने मंच ने पाया कि विपक्षी/विभाग ने परिवादी के बिल को संशोधन हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त परिवाद में परिवादी के विद्युत संयोजन का स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही समय पर की जाए, और कृत कार्यवाही से मंच के साथ-साथ परिवादी को भी लिखित में अवगत कराया जाए,

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी
05/07/25

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarakashi

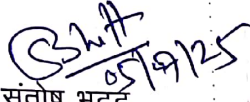
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

क्रमशः 2.....

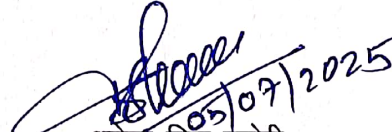
ताकि परिवादी की शिकायत का समाधान हो सके। परिवाद को लेकर मंच के समक्ष 30 कार्य दिवसों के भीतर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के संयोजन के विच्छेदन की कार्यवाही कर 30 कार्यदिवसों के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-34 / 2025

दिनांक:- 05.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री आनन्द चौहान, KUNSTOPLAST (INDIA) LTD. DHALWALA ढालवाला टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी।

विपक्षी

निर्णय

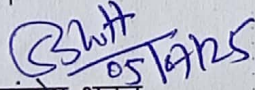
दिनांक 31.05.25 को भजनगढ़ मुनिकी रेली टिहरी गढ़वाल में शिविर के दौरान शिकायतकर्ता श्री आनन्द चौहान, KUNSTOPLAST (INDIA) LTD. DHALWALA टिहरी गढ़वाल में एक लिखित शिकायती प्रार्थनापत्र इस आशय के साथ प्रेषित किया कि कन्स्टोप्लास्ट इण्डिया लिमिटेड ढालवाला टिहरी के संयोजन पर स्थापित मीटर बदला गया था जिस कारण अप्रैल माह के बिल में डिमांड चार्ज ज्यादा दिया गया है जबकि विद्युत भार कम है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर की रीडिंग की जांच करवाने की कृपा करें।

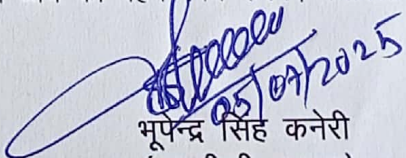
शिविर के दौरान विपक्षी विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी उपस्थित थे। मंच द्वारा आदेशित किया कि परिवादी कि उक्त समस्या पर अपना पक्ष दिनांक 19/06/2025 को सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त विपक्षी/विभाग ने पत्रांक संख्या 388 दिनांक 13/06/25 के माध्यम से मंच को अवगत किया कि उपरोक्त संयोजन की संयोजन संख्या TH0K000106407 के माह अप्रैल 2025 की विद्युत भार डिमांड (117.6 kVA) को संशोधित करते हुए विद्युत बिल पर अंकित अतिरिक्त विद्युत भार चार्ज रु० 14432.00 को हटाने की कार्यवाही कर विद्युत बीजक संशोधन हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। दिनांक 03.07.2025 को मंच ने उपभोक्ता का पक्ष सुनने हेतु उपखण्ड कार्यालय ऋषिकेश में सुनवाई की, जिसमें उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए। उपभोक्ता को दूरभाष से विभाग की कार्यवाही से अवगत करा दिया गया है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया कि विपक्षी ने परिवादी की अतिरिक्त विद्युत भार चार्ज संबंधी समस्या का समाधान हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन सुनिश्चित कर उपभोक्ता का संशोधित बिल निर्गत करना न्यायसंगत है। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के बिल का उपरोक्तानुसार संशोधन कर 30 कार्यदिवसों के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
उपभोक्ता सदस्य


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)

(विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193)

दूरभाष:-+917895754011, 7906829422 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-41/2025

दिनांक:- 05.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विपिन, ग्राम थाती घूतू (भिलंग) पो0 सांकरी टिहरी गढवाल।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड टिहरी।

विपक्षी

निर्णय

दिनांक 01.06.25 को राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज घूतू (घनसाली) टिहरी गढवाल में शिविर के दौरान श्री विपिन, ग्राम थाती घूतू (भिलंग) पो0 सांकरी टिहरी गढवाल ने एक लिखित शिकायती प्रार्थनापत्र इस आशय के साथ प्रेषित किया कि विद्युत संयोजन संख्या TH22604061123 जो कि कला देवी के नाम से संचालित है, लगभग 8-10 वर्षों से बन्द है और उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है, जिस कारण उक्त संयोजन के संचालन हेतु कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं है। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया कि उक्त संयोजन को पूर्णतः बन्द करवाने की कृपा करें।

शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से उपस्थित उपखंड अधिकारी को मंच द्वारा आदेशित किया गया कि परिवादी कि उक्त समस्या पर अपना पक्ष दिनांक 19/06/2025 को सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

इसके उपरान्त प्रतिवादी ने पत्रांक संख्या 1462 दिनांक 19/06/25 के मध्यम से मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या TH22604061123 का बिल स्टॉप कर दिया गया है। साथ ही उक्त संयोजन को स्थायी विच्छेदन हेतु खण्ड कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया कि विपक्षी/विभाग ने परिवादी के संयोजन के स्थायी विच्छेदन हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संयोजन का स्थायी विच्छेदन सुनिश्चित करना न्यायसंगत है। विपक्षी/विभाग संयोजन को नियमानुसार विच्छेदित कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराएं। उपरोक्त आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग परिवादी के संयोजन की स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही कर 30 कार्यदिवसों के भीतर मंच के समक्ष अनुपालन आख्या पेश करें। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखण्ड विद्युत लोकपाल, 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarkashi

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
(विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193)
दूरभाष:-+917895754011, 7906829422 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-40/2025

दिनांक:- 05.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री केशव लाल पुत्र श्री कुलादास ग्राम जुन्दणा पो0 ओ0 पूखार टिहरी गढवाल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड टिहरी।

विपक्षी

निर्णय

दिनांक 01.06.25 को राजकीय इंटर मीडिएट कालेज धुत्तू (घनसाली) टिहरी गढवाल में शिविर के दौरान श्री केशव लाल पुत्र श्री कुलादास ग्राम जुन्दणा पो0 ओ0 पूखार टिहरी गढवाल में एक लिखित शिकायती प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया गया कि उनका संयोजन 7-8 साल पहले काट दिया था लेकिन विद्युत बिल अभी तक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने मंच से अनुरोध किया है कि इस विद्युत बिल को बन्द करवाने की कृपा करें।

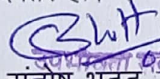
शिविर के दौरान विपक्षी विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी उपस्थित थे। मंच द्वारा आदेशित किया कि परिवादी कि उक्त समस्या पर अपना पक्ष दिनांक 19/06/2025 को सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

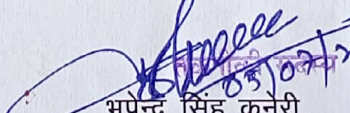
इसके उपरान्त प्रतिवादी ने पत्रांक संख्या 1461 दिनांक 19/06/25 के मध्यम से मंच को अवगत किया कि परिवादी के विद्युत संयोजन संख्या TH22608061442 का बिल स्टॉप कर दिया गया है। साथ ही उक्त संयोजन को स्थायी विच्छेदन हेतु खण्ड कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया कि विपक्षी/विभाग ने परिवादी के संयोजन के स्थाई विच्छेदन हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संयोजन का स्थाई विच्छेदन सुनिश्चित करना न्यायसंगत है। विपक्षी/विभाग संयोजन को नियमानुसार विच्छेदित कर कृत कार्यवाही से मंच को अवगत कराएं। उपरोक्त आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग परिवादी के संयोजन की स्थाई विच्छेदन की कार्यवाही कर 30 कार्यदिवसों के भीतर मंच के समक्ष अनुपालन आख्या पेश करें। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखण्ड विद्युत लोकपाल, 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarakashi

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)

(विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193)

दूरभाष:-+917895754011, 7906829422 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-42/2025

दिनांक:- 05.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रेम लाल ग्राम शाँकरी घुत्तू भिलंग टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड टिहरी।

विपक्षी

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री प्रेम लाल ग्राम शाँकरी घुत्तू भिलंग टिहरी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 01/06/25 को राजकीय इण्टर कॉलेज घुत्तू (घनसाली) टिहरी में आयोजित शिविर के दौरान शिकायत दर्ज कराई। परिवादी का कथन है कि श्री सूरतलाल पुत्र श्री घनपूरा ग्राम शाँकरी घुत्तू भिलंग टिहरी का आठ-नौ साल घर से लापता है एवं आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि विद्युत बिल को बन्द करने कि कृपा करें।

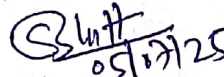
शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी को मंच द्वारा आदेशित किया कि परिवादी कि उक्त समस्या पर अपना पक्ष दिनांक 19/06/2025 को सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त प्रतिवादी ने पत्रांक संख्या 1463 दिनांक 19/06/25 के माध्यम से मंच को अवगत किया कि शिकायतकर्ता के संयोजन संख्या TH22604069728 का बिल स्टॉप कर दिया गया है, साथ ही उक्त संयोजन को स्थायी विच्छेदन हेतु खण्ड कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद ने मंच ने पाया कि विपक्षी ने परिवादी की विद्युत संयोजन विच्छेदन संबंधी समस्या का समाधान हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि विपक्षी/विभाग परिवादी के विद्युत संयोजन का विनियमों के अनुसार विच्छेदन की कार्यवाही अमल में लाएं तथा सभी प्रक्रिया पूरी होने पर संयोजन विच्छेदित कर रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। उपरोक्त संशोधन सुनिश्चित कर उपभोक्ता का संशोधित बिल निर्गत करना न्यायसंगत है। परिवादी भी विपक्षी/विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है।

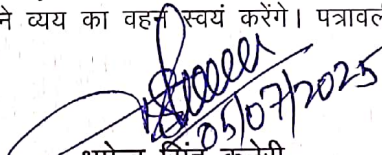
उपरोक्त आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के संयोजन को नियमानुसार विच्छेदित कर 30 कार्यदिवसों के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarakshi


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-349/2024

दिनांक:- 05.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री त्रेपन सिंह पुत्र श्री सत्ये सिंह ग्राम व पो0ओ0-पंतवाडी जौनपुर, टिहरी गढ़वाल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री त्रेपन सिंह पुत्र श्री सत्ये सिंह ग्राम व पो0ओ0-पंतवाडी जौनपुर, टिहरी गढ़वाल ने दिनांक 25/03/25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी में शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या TH24N22020833 हैं, जिसका विद्युत भार 1.00KW है। परिवादी को माह मार्च 2025 में कुल रुपये 231964.00 का बिल प्राप्त हुआ है, जो कि अधिक है। विभाग द्वारा बिल पूर्व रीडिंग के अनुसार प्रेषित किये गये जबकि समस्त बिलों का भुगतान परिवादी द्वारा समय-समय पर किया गया है। माह फरवारी 2025 तक परिवादी के बिल का कोई भी अवशेष बकाया नहीं था। विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 22.02.2025 तक कुल 10823 रीडिंग तक का बिल दिया गया था, परन्तु दिनांक 12.03.2025 को कुल 44286 रीडिंग तक कुल खपत 33463 यूनिट का बिल कुल रुपये 231964.00 का दिया गया है, जो कि 18 दिन का है, जबकि परिवादी के यह इतनी खपत नहीं है। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया है कि उक्त गलत बिल को निरस्त करवाने एवं सही बिल देने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने कि कृपा करे।

मंच ने याचिकर्ता की शिकायत निवारण हेतु शिकायत को पंजीकृत कर दिनांक 25/03/25 पत्रांक संख्या 252 के द्वारा प्रतिवादी/विभाग को मंच के समक्ष दिनांक 07/04/25 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण और अपतियों सहित समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया। तय तिथि को प्रतिवादी/विभाग ने आख्या प्रस्तुत नहीं की।

इसके उपरान्त विभाग ने पत्रांक 69 दिनांक 15/05/2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि दिनांक 01/03/2025 को उपभोक्ता श्री त्रेपन सिंह के परिसर की जांच की गई एवं पाया गया कि माह 02/2025 को विद्युत बिल में 10823 रीडिंग प्रदर्शित की गई है जबकि उपरोक्त चैकिंग दिनांक 01/03/2025 को मीटर में रीडिंग 44286 पाई गई जिसमें शेष यूनिट 33443 रीडिंग का बिल ₹0 7.33 के हिसाब से ₹0 231964.00 का बना दिया गया। वर्तमान में उपभोक्ता का बिल वर्षवार 2016 से 2025 तक संशोधन के उपरान्त ₹0 135268.00 का कर दिया है।

दिनांक 26/06/25 को शिकायतकर्ता द्वारा मंच के समक्ष अपना पक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया और यह बताया कि माह मार्च 2025 के बीजक में खपत 33463 यूनिट दर्ज कि गयी है, और बीजक हायर रेट पर बनाया गया है। शिकायतकर्ता ने मंच से अनुरोध किया है कि :-

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी
05/07/25

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarakashi

कमरा: 2
05/07/2025
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

1. शिकायतकर्ता के विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर बाहर पोल पर स्थापित किया गया है, तथा विभागीय कर्मचारी द्वारा रीडिंग ली जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त 18 दिन के बीजक में 33463 यूनिट दर्ज की गयी है, विभाग की लापरवाही के कारण या तो रीडिंग रोकी गयी थी, या तो मीटर रीडिंग जम्प हो गयी जिसमें शिकायतकर्ता की कोई गलती नहीं है। यदि विभाग की गलती के कारण रीडिंग रोकी गयी थी तो बीजक को निरस्त किया जाये या उसका भुगतान विभाग द्वारा किया जाये।
2. विभाग द्वारा घरेलू श्रेणी का उपयोग अघरेलू श्रेणी में किये जाने का जो निर्धारण किया गया है, उस निर्धारण में विभाग द्वारा रोकी गयी रीडिंग को हटाकर विभाग द्वारा पूर्व में रीडिंग के आधार पर प्रेषित बीजक के आधार पर बनाया जाये।
3. शिकायतकर्ता के उक्त संयोजन पर विभाग द्वारा चैक मीटर भी स्थापित किया गया है, जिसकी कोई भी अख्या शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा नहीं दी गयी है एवं शिकायतकर्ता द्वारा विभाग को पूर्व में मीटर की एम0आर0आई0 रीडिंग की रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया जिसकी भी अख्या आतिथि तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। साथ ही मा0 फोरम द्वारा उक्त पत्र में दिनांक 07.04.2025, 25.04.2025, 14.05.2025, 26.05.2025, 04.06.2025 एवं 19.06.2025 को उक्त परिवाद की सुनवाई हेतु लिखा गया है जिस हेतु शिकायतकर्ता को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण शिकायतकर्ता मंच के समक्ष अपना प्रतिउत्तर नहीं रख सका।

विभाग द्वारा दिनांक 26/06/2025 पत्रांक संख्या 154 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि मंच के मौखिक आदेशनुसार दिनांक 25/06/2025 को उपभोक्ता के परिसर में लगे विद्युत संयोजन सं0 TH24N22020833 के विद्युत मीटर सं0 067718 की एम0आर0आई0 की गई एवं चैक मीटर लगाया गया जिनकी अन्तिम रिपोर्ट सलग्न कर मंच को प्रेषित की।

मंच ने उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया। मंच ने यह पाया कि दिनांक 01/02/2025 से 01/06/2025 तक परिवादी का स्वीकृत भार के सापेक्ष 4कि0वा0 से अधिक भार दर्ज हुआ है। जबकि उपभोक्ता का संयोजन 01 कि0वा0 का घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत निर्गत है साथ यह भी पाया गया कि उपभोक्ता की एम0आर0आई0 द्वारा जांच की गई मीटर रीडिंग और मीटर रीडर द्वारा ली गई रीडिंग मेल नहीं खाती है/कर रही है। जबकि विभाग द्वारा प्रस्तुत मीटर रीडर द्वारा ली गई रीडिंग मेल नहीं खाती है/कर रही है। इससे यह स्पष्ट मालुम होता है टेस्टिंग प्रमाण पत्र के अनुसार उपभोक्ता का मापक दोषपूर्ण नहीं है। इससे यह स्पष्ट मालुम होता है कि मीटर रीडर द्वारा मीटर रीडिंग लेने में गंभीर लापरवाही की गई। और परिवादी की नियमित और सही रीडिंग न करके अनुमानित रीडिंग की गई। जिससे उपभोक्ता को एक साथ अधिक रीडिंग का बिल निर्गत होने के कारण टेरिफ आर्डर के रेट शेड्यूल के अधिकतम दर पर बिलिंग होने के परिणामस्वरूप बिल कई गुना राशि का निर्गत हुआ। विपक्षी द्वारा परिवादी की सही रीडिंग न लेने के चलते परिवादी को पहले तो कम रीडिंग यानी अनुमानित रीडिंग के बिल दिए गए। लेकिन अचानक भारी भरकम बिल थमा दिया, जो कि न्याय संगत नहीं है। परिवाद मंच में आने के बाद परिवादी के मापक की जांच को चेक मीटर तथा एम0आर0आई0 कराने के निर्देश दिए गए। इस पर विपक्षी ने चेक मीटर और एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। लेकिन परिवादी का चेक मीटर और एम0आर0आई0 में खपत सही पाई गई।

चूंकि परिवादी की खपत सही पाई गई लेकिन मीटर रीडर की लापरवाही से एक मुश्त रीडिंग का बिल जारी करना विनियमों के विपरीत है। ऐसे में मंच द्वारा विपक्षी को परिवादी को निर्गत एक मुश्त रीडिंग के बिल को Pro-Rata के आधार पर सशोधन करने के निर्देश दिए।

उपभोक्ता सदस्य
05/07/25
निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarakhand

क्रमशः 3.....
05/07/2025
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

इस पर विपक्षी ने मंच के समक्ष दिनांक 24/02/2016 से 12/03/2025 तक की रीडिंग को 109 माह में बांटते हुए बराबर यूनिट के बिलो को वर्षवार जारी टैरिफ के अनुसार संशोधित कर रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई।

मंच ने रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि विपक्षी ने परिवादी को निर्गत एक मुश्त रीडिंग के बिल को नियमानुसार संशोधित कर दिया है। मंच विपक्षी को आदेशित करता है कि परिवादी को मीटर रीडर की गलती से एक साथ थमाया गया भारी भरकम बिल जमा करने में नियमानुसार समय दिया जाए, ताकि उपभोक्ता पर अर्थिक भार न पड़े। साथ ही संशोधित बिलों पर किसी तरह का विलंब शुल्क अधिभार न लिया जाए। मंच परिवादी को भी अपने परिसर का विद्युत भार चेक करवाने तथा भविष्य में समय पर रीडिंग करवाने का सुझाव देता है। इसके अलावा मंच मनमानी रीडिंग करने तथा समय पर सही रीडिंग न करने वाले मीटर रीडर एवं संबंधित जिम्मेदार से स्पष्टीकरण देने का आदेश देता है। ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो।

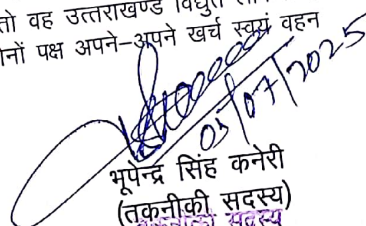
उपरोक्त आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय आयोग द्वारा जारी सम्बंधित विनियमों अनुपालन करते हुए परिवादी के विद्युत बिलों का उपरोक्तानुसार निरस्त एवं संशोधन करना सुनिश्चित करे। मंच गलत रीडिंग के लिए जिम्मेदार मीटर रीडर के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही कर मंच को अवगत कराए। साथ ही विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त आदेश का 30 कार्य दिवसों कि अवधि में मंच के समक्ष अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाए। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखण्ड विद्युत लोकपाल, 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफतर हो।


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता निगम
नवाराण पंच उत्तरकाशी


भूपेन्द्र सिंह कनेसी
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

OFFICE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
(विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193)

दूरभाष:-+917895754011, 7906829422 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-326/2024

दिनांक:- 05.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
श्री संतोष भट्ट

(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गोविन्द राम, ग्राम गैर पो0 पुजोली बडकोट।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, बडकोट।

विपक्षी

निर्णय

श्री गोविन्द राम, ग्राम गैर पो0 पुजोली बडकोट ने दिनांक 18/03/25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी में पत्र प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में यथा समय विद्युत बिल का भुगतान किया जा रहा था, किन्तु वर्ष 2022 माह जनवरी में विद्युत विभाग द्वारा नया विद्युत मीटर लगाये जाने के उपरान्त प्रथम दो माह का बिल तो ठीक है, लेकिन अगले महिनो का बिल जो 15-07-2022 का निर्गत हुए की राशि रु0 8927.00 प्राप्त हुई जो कि परिवादी द्वारा उपयोग भी नहीं की गई, चूंकि अत्यधिक रीडिंग व राशि की वजह से परिवादी द्वारा यह बिल संशोधन हेतु अनेक बार उपखण्ड कार्यालय बडकोट तथा अधिशाली अभियन्ता कार्यालय बडकोट में शिकायत करवाई गई लेकिन अभी तक उचित निराकरण अपेक्षित है। परिवादी का कहना है कि इन महिनो के बाद भी जो बिल प्राप्त हुए वह उपयोग अनुसार सही है, व परिवादी द्वारा उनका भुगतान भी किया गया। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया है कि इस बिल को संशोधन करवाने की कृपा करे।

मंच ने शिकायत को पंजीकृत कर पत्रांक संख्या 229 दिनांक 18/03/25 के द्वारा प्रतिवादी/विभाग को मंच के समक्ष दिनांक 25/03/25 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण और अपतियो सहित समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया। तय तिथि को प्रतिवादी/विभाग ने आख्या प्रस्तुत नहीं की।

इसके उपरान्त विपक्षी/विभाग ने अपने पत्रांक 545 दिनांक 27.03.2025 के माध्यम से मंच से अनुरोध किया कि राजस्व वसूली में कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण उक्त परिवादी की सुनवाई माह अप्रैल में करने का कष्ट करें। दिनांक 07.04.2025, 25.04.2025 एवं 14.05.2025 की सुनवाई के दौरान भी विभाग ने आख्या पेश नहीं की। इसके उपरान्त विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 83 दिनांक 13.05.2025 के माध्यम से डाक द्वारा आख्या पेश की गई। सुनवाई में विभाग अनुपस्थित होने कारण दिनांक 21.06.2025 को मंच द्वारा रानाचट्टी में आयोजित उपभोक्ता शिविर में सुनवाई कर उपभोक्ता का पक्ष दूरभाष द्वारा सुना गया और विपक्षी/विभाग का कथन भी सुना गया।

उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का 01 कि0वा0 के संयोजन पर उपभोक्ता की विद्युत खपत दिनांक 15.09.2021 से पूर्व प्रतिचक्र 100 यूनिट से कम थी और उपभोक्ता को बिल उक्तानुसार निर्गत किया गया। उपभोक्ता के अनुसार माह जनवरी 2024 को उनके परिसर पर नया मापक स्थापित किया गया और दिनांक 15.07.2022 को उपभोक्ता को रु0 8927.00 का अत्यधिक धनराशि का बिल प्रेषित किया गया।

क्रमशः 2.....

उपभोक्ता सदस्य
05/07/25
निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum, Uttarakashi

05/07/25
उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी



उपभोक्ता ने यह भी कथन किया है कि उन्हें जो बिल वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं वह उनकी वास्तविक खपत के अनुसार सही हैं।

उपभोक्ता के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता का जनवरी माह में मीटर लगने के पूर्व और दिनांक 15.07.2022 के उपरान्त के बिलों में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उपभोक्ता को दिनांक 15.09.2021 से 13.03.2022 तक एन0आर0 तथा आई0डी0एफ के आधार पर बिल प्रेषित किए गए हैं।

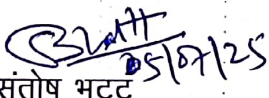
प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया कि विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के विनियम में नियत धारा 5.1.4, 5.1.7 एवं वार्षिक टैरिफ आदेश रेट शिड्यूल की धारा (4) के अनुसार उपभोक्ता को दो से अधिक एन0आर0/आई0डी0एफ/आर0डी0एफ के बिल प्रेषित करना विनियमों के विरुद्ध है। अतः उपभोक्ता का दिनांक 15.09.2021 और दिनांक 17.11.2021 का बिल उपभोक्ता के पूर्व में निर्गत तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधन कर निर्गत करना और दिनांक 18.01.2022 से 13.03.2022 का बिल निरस्त करना न्यायसंगत है। निरस्त बिलों पर किसी भी प्रकार विलंब शुल्क और अधिभार न लिया जाए।

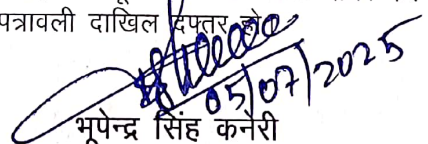
मंच ने पाया कि उपभोक्ता की मूल समस्या दिनांक 15.07.2022 के बिल रु0 8927.00 के बिल के सम्बन्ध में है जिसमें विभाग ने दिनांक 13.05.2025 की पत्रावली में अपनी गलती स्वीकार भी की और उपभोक्ता का बिल दिनांक 16.07.2021 से 15.07.2022 तक के मैन्यूअली संशोधित कर रु0 5982.00 कर दिया गया है। विपक्षी/विभाग ने इस संबंध में कैलकुलेशन हिस्ट्री भी मंच के समक्ष पेश की है। इसमें परिवादी को जारी गलत बिल को सही करने का दावा किया है। मंच के अवलोकन के अनुसार उपभोक्ता के पूर्व मीटर की औसत खपत 105 यूनिट थी, लेकिन मीटर स्थापित होने के पश्चात् दिनांक 15.07.2022 के उपरान्त तीन बिलों की औसत खपत $(191+329+425)/3 = 315$ यूनिट है, जो कि तीन गुना अधिक है। मंच का मत है कि या तो उपभोक्ता का पूर्व वाला मीटर खराब होने के कारण धीमा चल रहा था अथवा उपभोक्ता की विद्युत खपत माह जनवरी 2022 के उपरान्त 3 (तीन) गुना अधिक हो गई। उपभोक्ता द्वारा नए मापक त्रुटिपूर्ण होने का संशय नहीं किया है। परिवादी को मापक में त्रुटि का संशय है तो वह वर्तमान मापक की नियमानुसार चेक मीटर लगवाकर जांच के लिए स्वतंत्र है। यदि चेक मीटर एवं वर्तमान मीटर में अन्तर पाया जाता है तो विभाग विनियम के अनुसार मीटर बदलकर संशोधित बिल परिवादी को निर्गत करेगा। उपरोक्त आधार पर परिवादी के दिनांक 22.07.2022 का बिल जो कि एक मुश्त होने के कारण संशोधन करना न्यायोचित है। इस प्रकार संशोधित बिल के भुगतान हेतु उपभोक्ता को समुचित समय दिया जाना भी न्यायोचित है। इस दौरान उपभोक्ता के संशोधित बिल पर विलम्ब शुल्क अधिभार न लगाया जाए।

उपरोक्त आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परिवाद का निस्तारण कर परिवादी को सही रीडिंग का संशोधित बिल निर्गत करें। साथ ही उपभोक्ता को विपक्षी/विभाग द्वारा बिल संशोधन की Calculation details/Sheet की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। विपक्षी/विभाग 30 कार्यदिवसों के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखण्ड विद्युत लोकपाल, 80 वसंत विहार, देहरादून को समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर में


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
(विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193)
दूरभाष:-+917895754011, 7906829422 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-44/2025

दिनांक:- 04.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रामस्वरूप पुत्र श्री सोहन लाल ग्राम बनकोट चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड उत्तरकाशी।

विपक्षी

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री रामस्वरूप पुत्र श्री सोहन लाल ग्राम बनकोट चिन्यालीसौड उत्तरकाशी ने दिनांक 03/06/25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी में पत्र प्रस्तुत किया गया और यह लिखित कथन किया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या UK24146412784 पर बिजली का बिल बकाया रू0 40912.00 आया हुआ है। परिवादी की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण परिवादी बिजली का बिल एक साथ जमा करने में असमर्थ है। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया है कि बिजली के बिल को संशोधन करने कि कृपा करे।

मंच ने शिकायत को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर पत्रांक संख्या 45 दिनांक 03/06/25 के द्वारा प्रतिवादी/विभाग को मंच के समक्ष दिनांक 19/06/25 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण और अपतियो सहित समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

विपक्षी ने पत्रांक संख्या 203 दिनांक 18/06/25 के मध्यम से मंच को अवगत किया कि परिवादी के संयोजन संख्या UK24146412784 उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल दिनांक 19.10.2010 से 16.04.2012 तक IDF/NR तथा 31.10.2018 से 28.10.2021 पर निर्गत हो रहे है। उपभोक्ता का वर्तमान बिल रू0 37697.00 बकाया है।

दिनांक 19/06/2025 को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी को माननीय अयोग के विनियमों के अनुसार सही बिल निर्गत करने के निर्देश दिए गए। इसके उपरान्त विपक्षी/विभाग ने पत्रांक संख्या 206 दिनांक 20/06/2025 के माध्यम से मंच को अवगत किया कि परिवादी के संयोजन संख्या UK24146412784 पर मंच के आदेशनुसार बिल में प्रदर्शित दो बिलिंग चक्र से अतिरिक्त NR बिलों को पूर्णतया समाप्त कर बिल को रू0 37697.00 से संशोधित रू0 21332.00 कर खण्ड कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

उपभोक्ता मंच
विद्युत
04/07/25

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarakashi

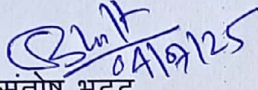
क्रमशः 2.....
04/07/2025

मंच ने उभय पक्षों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। मंच द्वारा बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा वर्ष 2024 से पूर्व के बिलों का भुगतान न करने के कारण उपभोक्ता के बिलों में विलंब शुल्क अधिभार जोड़ा गया जिस कारण उपभोक्ता का बिल अधिक बढ़ा है। विद्युत बिल के समय पर भुगतान करने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होती है।

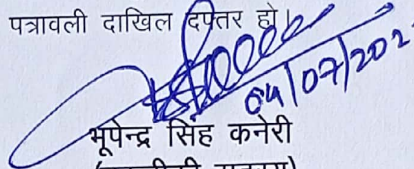
प्रस्तुत परिवाद में मंच ने यह भी पाया कि विपक्षी/विभाग ने परिवादी के बिल को संशोधन हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन सुनिश्चित कर उपभोक्ता का संशोधित बिल निर्गत करना न्यायसंगत है। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है। परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग परिवादी की अधिक बिल संबंधी शिकायत का उपरोक्तानुसार संशोधन कर उपभोक्ता को संशोधित बिल प्रेषित करें। 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष अनुपालन आख्या पेश करें। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखण्ड विद्युत लोकपाल, 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
(विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193)
दूरभाष:-+917895754011, 7906829422 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-48/2025

दिनांक:- 05.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मदन लाल पुत्र श्री चैतु लाल ग्राम पंजियाला डुण्डा उत्तरकाशी

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

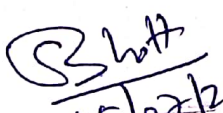
विपक्षी

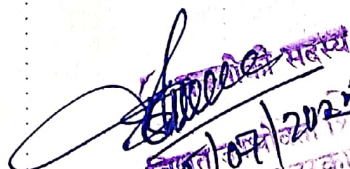
निर्णय

श्री मदन लाल पुत्र श्री चैतु लाल ग्राम पंजियाला डुण्डा उत्तरकाशी ने दिनांक 12/06/25 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी में पत्र प्रस्तुत किया गया और यह कथन किया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या UK141074118417635 पर निर्गत विद्युत बिल ज्यादातर IDF/NR पर निर्गत किए गए हैं और वर्तमान बिल की धनराशि बहुत अधिक है, जिसे एक साथ जमा कर पाना संभव नहीं है। शिकायतकर्ता ने मंच से अनुरोध किया है कि इस बिल को संशोधन करने की कृपा करें।

मंच ने शिकायत को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर पत्रांक संख्या 52 दिनांक 13/06/25 के द्वारा विपक्षी/विभाग को मंच के समक्ष दिनांक 27/06/25 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरण और आपत्तियों सहित समर्थित दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

मंच द्वारा परिवादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया गया और विपक्षी/विभाग को शिकायतकर्ता के IDF/NR बिलों का संशोधन करने के आदेश पारित किये गये। इस पर विपक्षी/विभाग ने अपने पत्रांक संख्या 218 दिनांक 27/06/2025 के माध्यम से मंच को


05/07/25
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


05/07/2025
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

क्रमशः 2.....

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarakashi



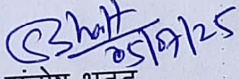
Scanned with OKEN Scanner

अवगत कराया कि माननीय मंच के आदेशानुसार परिवादी के उपरोक्त संयोजन पर दो बिलिंग चक्र से अतिरिक्त IDF/NR बिलों को पूर्णतया समाप्त कर बिल को ₹0 69070.00 से संशोधित ₹0 31242.39 कर खण्ड कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

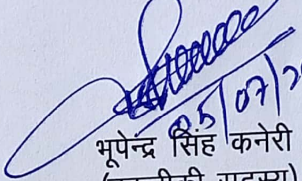
मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद में मंच ने पाया कि विपक्षी/विभाग ने परिवादी के बिल को संशोधन हेतु खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित कर उपभोक्ता को संशोधित बिल निर्गत करना न्यायसंगत है। परिवादी भी विपक्षी/विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के बिल का उपरोक्तानुसार संशोधन कर 30 कार्यदिवसों के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उत्तरकाशी)
(विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी पिन:-249193)
दूरभाष:-+917895754011, 7906829422 ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-39/2025

दिनांक:- 05.07.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री शेरदास पुत्र श्री वीरदास, ग्राम मेन्डू (सिन्दवालगांव) धुत्तू टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

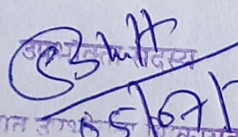
निर्णय

दिनांक 01.06.25 को मंच द्वारा आयोजित राजकीय इंटर मीडिएट कालेज धुत्तू (घनसाली) टिहरी गढवाल में शिविर के दौरान श्री शेर दास पुत्र श्री वीर दास ग्राम मेन्डू धुत्तू घनसाली टिहरी गढवाल ने एक लिखित शिकायती प्रार्थनापत्र इस आशय के साथ प्रेषित किया कि उनके संयोजन संख्या TH12007061034 पर लगभग 9-10 साल से डबल बिल आ रहा है। शिकायतकर्ता ने मंच से अनुरोध किया है कि इस विद्युत बिल को बन्द करवाने की कृपा करे।

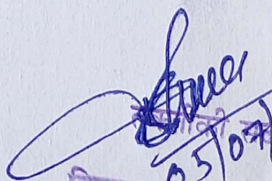
शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी उपस्थित थे। मंच द्वारा आदेशित किया कि परिवादी कि उक्त समस्या पर अपना पक्ष दिनांक 19/06/2025 को सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

इसके उपरान्त विपक्षी/विभाग ने पत्रांक संख्या 1460 दिनांक 19/06/25 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या TH12007061034 का बिल स्टॉप कर दिया गया है। साथ ही उक्त संयोजन को स्थायी विच्छेदन हेतु खण्ड कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत परिवाद ने मंच ने पाया कि विपक्षी/विभाग ने परिवादी के संयोजन को विच्छेदित करने की कार्यवाही खण्ड कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया है। मंच का मत है कि उपरोक्त प्रक्रिया को सुनिश्चित कर उपभोक्ता का संयोजन समय पर विच्छेदित करना न्यायसंगत है।


विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

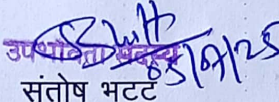
Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarkashi

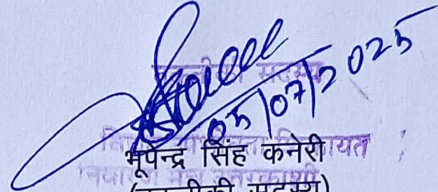

05/07/2025
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी
क्रमशः 2.....

साथ ही यदि संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही पूरी होती है तो कृत कार्यवाही से मंच को भी अवगत कराएं। ऐसे में परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के संयोजन को विच्छेदित कर 30 कार्यदिवसों के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। यदि इस आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने व्यय का वहन स्वयं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
विद्युत लोकपाल मंच उत्तरकाशी


मूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
विद्युत लोकपाल मंच उत्तरकाशी